

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:—स्था (रा.न्या.से.) अदकाश / 1584 / 2021

दिनांक : 16 .07.2021

श्री जगदीश जाणी (RJ0359), अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बालोतरा को निम्नलिखित अवकाश स्वीकृत किये जाते हैं :-

01. दिनांक 22.04.2021 से 27.04.2021 तक 06 दिनों का उपार्जित अवकाश ।
02. दिनांक 28.04.2021 से 11.05.2021 तक 14 दिनों का परावर्तित अवकाश ।
03. दिनांक 12.05.2021 से 10.06.2021 तक 30 दिनों का अर्द्धवैतनिक अवकाश ।

श्री जाणी की अनुपस्थिति में जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बालोतरा / विशिष्ट न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012, बालोतरा ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की ।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बालोतरा के पद पर ही की गई ।

आज्ञा से
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)
दिनांक : 16 .07.2021

क्रमांक:—स्था बी 2(465 / 2000 / 4520

प्रतिलिपित निम्न सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बालोतरा को उनके पत्रांक 5564 दिनांक 15.06.2021 के सन्दर्भ में ।
3. श्री जगदीश जाणी (RJ0359), अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बालोतरा ।
4. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बालोतरा ।
5. विशिष्ट न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012, बालोतरा ।

सहायक रजिस्ट्रार